निगम आयुक्त ने किया जोन–5 का व्यापक निरीक्षण, अवैध होर्डिंग हटाने और सुविधाओं के संधारण के निर्देश

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को ज़ोन–5 के सेक्टर 10 अंतर्गत विभिन्न नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट, ओपन जिम, क्रिकेट कोर्ट, अवैध होर्डिंग, यात्री प्रतीक्षालय और नाला सफाई कार्यों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे के साथ सेक्टर 10, सड़क 03 पर बने बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रकाश व्यवस्था के लिए लगे विद्युत पोल और मेट के तत्काल संधारण का निर्देश दिये। समीप के क्रिकेट कोर्ट की रेलिंग पर एक हॉस्पिटल के नाम से लगे बोर्ड को हटाकर उसके स्थान पर नगर निगम भिलाई का बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया।

सेक्टर 10 ए मार्केट से लगी सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि नगर पालिक निगम अधिनियम एवं शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए महापौर परिषद की बैठक में संकल्प पारित किया गया है कि सभी अवैध होर्डिंग हटाए जाएं। भविष्य में होर्डिंग लगाने से पहले नगर निगम भिलाई से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना आवश्यक है। सेक्टर 10 ए मार्केट रोड किनारे पार्षद अभय सोनी की निधि से निर्मित यात्री प्रतीक्षालय का भी अवलोकन किया गया, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाना है। पार्षद निधि से जनहित के अच्छे कार्य के लिए हर्ष व्यक्त किये।

पार्षद प्रतिनिधि अनिल सिंह द्वारा कराए जा रहे नाला सफाई कार्य का भी निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया और कार्य की सराहना किए।

सड़क 25 पर निर्मित बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण किया गया तथा उसमें आवश्यक संधारण कार्य कराने के लिए निर्देशित किया गया। इस निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता श्वेता महेश्वर, शंकर सुवन मरकाम, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे, सूर्या सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुविधाओं का संधारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और शहर की सुंदरता को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।